सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 164 राँची, बुधवार, 2 पौष, 1937 (श०)
23 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 दिसम्बर, 2015

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-2283/गो०, दिनांक 8 नवम्बर, 2014, पत्रांक-2347/गो०, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 एवं पत्रांक- 407/गो०, दिनांक 9 फरवरी, 2015

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-67, दिनांक 6 नवम्बर, 2015 एवं संकल्प सं०-4418, दिनांक 15 मई, 2015

3. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-35/2015, दिनांक 2 सितम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-554/2014 का०-10694--श्री (डॉ०) रविन्द्र सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 441/03, गृह जिला- गया, बिहार) के विरूद्ध प्रबंधक निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त,

धनबाद के पत्रांक-2283/गो0, दिनांक 8 नवम्बर, 2014 एवं पत्रांक-2347/गो0, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रतिवेदित किये गये हैं। इन आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा पत्रांक-80, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 एवं पत्रांक-82, दिनांक 24 नवम्बर, 2014 द्वारा स्वतः स्पष्टीकरण दिया गया । विभागीय पत्रांक-67, दिनांक 6 नवम्बर, 2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया गया कि यदि श्री सिंह के विरूद्ध आरोप बनता हो, तो प्रपत्र- 'क' में गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाय। उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-407/गो0, दिनांक 9 फरवरी, 2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र- 'क' में अंकित आरोपों का विवरण निम्नवत् है:-

1. श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री पंकज कुमार सिंह, पिता- स्व0 राणा रामाति सिंह, पोलिटेकनिक रोड, बेकारबाँध, धनबाद के नाम से मौजा- हीरापुर, मौजा सं0-07 के खाता सं0-136, प्लाट सं0-92/21, रकबा-13 कट्ठा भूमि के लिए B+G+5 (छः मंजिला) आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी Floor Area Ratio (F A R) 4.03 है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता की सरकारी भूमि है। निर्धारित Floor Area Ratio की अवहेलना कर नक्शा पारित करने के प्रसंग में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में गलत तथ्यों का उल्लेख कर भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा की गयी है। सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 द्वारा निर्धारित Floor Area Ratio की अवहेलना कर नक्शा पारित नहीं करने का निदेश दिया गया था तथा निर्धारित Floor Area Ratio की अवहेलना कर पारित नक्शा की सूची माँगी गयी थी। साथ ही, स्पष्ट रूप से यह भी निदेशित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में भवन नक्शा स्वीकृत करते समय Floor Area Ratio 3.0 से अधिक नहीं दिया जाय। प्रश्नगत मामले में उक्त निदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपी पदाधिकारी द्वारा बैकडेट में निजी स्वार्थ से उत्प्रेरित होकर नक्शा पारित किया गया है, क्योंकि प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद के पत्र सं०-टी०पी० 583, दिनांक 24 जुलाई, 2014

द्वारा निर्धारित Floor Area Ratio से अधिक के लिए पारित नक्शा से संबंधित मामलों की नगर विकास विभाग को प्रेषित सूची में यह नक्शा भी शामिल होता । आरोपित पदाधिकारी द्वारा नगर विकास विभाग को अधिक एफ०ए०आर० के मामलों की सही सूची नहीं भेजी गयी तथा जिम्मेवारी से बचने के नियत से बोकारो क्षेत्र में निर्धारित एफ०ए०आर० का उल्लंघन का पारित नक्शा को भी उसमें शामिल नहीं किया गया ।

धनबाद जिला में सरकारी भूमि के लिए राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से अनियमित रूप से लगान रसीद प्राप्त करने का अनेकों मामला है। ऐसी भूमि पर ईमारत निर्माण कर इसे स्थायी रूप से हड़पने में अवांछनीय तत्व सक्रिय हैं । इसलिए उपायुक्त, धनबाद के पत्र सं०-2628/रा०, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 द्वारा गैर आबाद खाता की भूमि पर भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित करने के पूर्व संबंधित सरकारी भूमि के लिए सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय के आदेश से विधिवत् रूप से जमाबंदी कायम रहने के संबंध में संबंधित अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद को दिया गया था, परन्तु इस मामले में आरोपी पदाधिकारी द्वारा उपायुक्त, धनबाद के उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए, वगैर अंचल अधिकारी, धनबाद से विधिवत् रूप से जमाबंदी कायम रहने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किये, निहितार्थ भाव से सरकारी भूमि को हड़पने में सहयोग करने की मंशा से ईमारत निर्माण हेतु नक्शा पारित किया गया।

अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्र सं०-25, दिनांक 06 जनवरी, 2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में उक्त भूमि को गैर आबाद खाता का एवं इसके लिए अनियमित रूप से जमाबंदी चलने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संबंधित जमाबंदी को रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा अभिलेख सं0-19/13 में प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जो विचाराधीन है । इस तथ्य के प्रकाश में आने पर उपायुक्त, धनबाद के पत्र सं०-364/गो०, दिनांक 5 फरवरी, 2015 द्वारा आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग को पारित नक्शा को रद्द करने हेतु तथा संबंधित पदाधिकारियों को जमाबंदी रद्द करने संबंधी प्रस्ताव का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया है । आरोपी

पदाधिकारी का उक्त आचरण सरकारी पदाधिकारी के लिए निर्धारित आचार संहिता के प्रतिकूल है।

2. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता- श्री गणेश प्रसाद सिंह, मौजा- नवाडीह, बड़ामुण्डी के खाता सं०-33, 54 एवं 37, प्लाट सं0-975, 982 एवं 22 पर B+G+9 दस मंजिला व्यवसायिक-सह-आवासीय भवन निर्माण का नक्शा पारित किया गया है, जिसका FAR 4.43 है। इसमें भी गैर आबाद खाता की भूमि शामिल है । इस मामले में भी दिनांक 16 जुलाई, 2014 को नक्शा की स्वीकृति प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद द्वारा दी गयी है। इस मामले को भी FAR का उल्लंघन कर नक्शा पारित करने संबंधी प्रेषित मामलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस मामले के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है ।

3. श्री विनोद कुमार भुवानिया, पिता-स्व0 केदार नाथ भुवानिया के नाम से मौजा-कंगालों, मौजा सं०-128, खाता सं०-15, 03, 22 एवं 33 के प्लाट सं०-304, 346, 348, 347, 352, 345 एवं 349 B+G+11 बारह मंजिला ईमारत का नक्शा पारित किया गया है, जिसका FAR 4.63 है। इसमें भी गैर आबाद खाता की भूमि शामिल है । इस मामले में भी प्रबंध निदेशक, माडा द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2014 को नक्शा की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह मामला भी सरकार को FAR के उल्लंघन से संबंधित मामलों की प्रेषित सूची में शामिल नहीं है । आरोपी पदाधिकारी द्वारा सरकार से पत्र प्राप्ति के उपरांत बैक डेट में स्वार्थसिद्धि के लिए नियम का उल्लंघन करते हुए नक्शा पारित किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से पत्र सं०-429, दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा गैर आबाद खाता सं०-33 के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है जबकि अंचल अधिकारी के उक्त पत्र में प्रश्नगत भूमि के गैर आबाद के खाता के रहने तथा तत्कालीन अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण वाद सं०-2190(VI)/2012-13 द्वारा नामांतरण की स्वीकृति दिये जाने मात्र से अवगत कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन में सक्षम प्राधिकार एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से विधिवत् जमाबंदी कायम रहने का प्रमाण नहीं दिया गया है । स्पष्ट है कि

आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस मामले में भी गैर आबाद खाता की सरकारी भूमि पर नक्शा की स्वीकृति प्रदान कर सरकार को हानि पहुँचाने का प्रयास किया गया है ।

4. मेसर्स नवशक्ति डेवलपर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा० लि० निदेशक श्री विनोद आहूजा के नाम से मौजा-कोलाकुसमा, सरायढेला, मौजा सं०-12, 8, खाता सं0-142, 53, प्लाट सं०-2331 एवं 186 पर क्रमशः B+LG+G+4 एवं B+G+11 के भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 16.07.2014 को प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद द्वारा दी गयी है । इसके लिए पत्र संख्या-651, दिनांक 13 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया है । इसका खाता संख्या-142 गैर आबाद भूमि है। संबंधित नक्शा में FAR 3.75 है। इस मामलों को भी FAR के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सूची में नहीं दर्शाया गया है। अंचल अधिकारी, धनबाद के पत्र सं0-25, दिनांक 06 जनवरी, 2015 से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता की है, जिसका सर्वप्रथम हस्तांतरण वर्ष 1944 में तत्कालीन जमींदार की पत्नी-श्रीमती रानी प्रयाग कुमारी द्वारा की गयी है, जिन्हें गैर आबाद खाता की भूमि को हस्तांतरित/बन्दोबस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के लिए चल रही जमाबंदी नियमानुकूल नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग से उपायुक्त, धनबाद द्वारा संबंधित सरकारी भूमि पर पारित नक्शा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है तथा संबंधित राजस्व पदाधिकारियों को चल रही अनियमित जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है ।

5. प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद द्वारा मौजा-हीरापुर, मौजा संख्या-07, गैर आबाद खाता नगरपालिका प्लाट संख्या-1525, रकबा 04 कट्ठा भूमि पर केस नम्बर एम०ए०डी०ए०बी०डी०-44/14-15 में श्री जीतेन्द्र कुमार बनर्जी, पुलिस लाईन, हीरापुर, धनबाद के नाम से इमारत निर्माण हेतु नक्शा पारित किया गया है। उपायुक्त, धनबाद के संज्ञान में इस मामले के आने पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-टी०पी० 1062, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्माण कार्य को स्थगित कर दिया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, धनबाद से अनापत्ति प्राप्त किये बिना नक्शा

पारित किया गया है। प्रश्नगत सरकारी भूमि के 1 जनवरी, 1946 के पूर्व से हस्तांतरित होने की बात प्रकाश में आयी है ।

6. आरोपित पदाधिकारी द्वारा मौजा-हीरापुर, मौजा संख्या-07, गैर आबाद खाता संख्या-136, प्लाट संख्या-92, रकबा-3750 वर्गफीट भूमि पर केस नम्बर एम०ए०डी०ए०बी०डी०-157/14-15 में श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, पिता- स्व0 राम नारायण शर्मा, पोलिटेकनिक रोड, धनबाद के नाम से ईमारत निर्माण का नक्शा पारित किया गया है । इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-894, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा पारित नक्शा को स्थगित करते हुए श्री रवीन्द्र शर्मा से मंतव्य प्राप्त कर लिखा गया कि स्वीकृत नक्शा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक को प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र स्थापित नहीं होगा । उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि को टिकुरी केस सं0-28/2015(II) 62-63 तथा आयुक्त, उ०छो० प्रमंडल, हजारीबाग के पत्र संख्या-1825, दिनांक 06 दिसम्बर, 1969 के आलोक में रैयती घोषित किया गया है परन्तु इसकी कोई भी सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र सं०-1809, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता की है। इसलिए उपायुक्त, धनबाद द्वारा सक्षम पदाधिकारी को सरकारी भूमि के लिए चल रही अनियमित जमाबंदी रद्द करने हेतु विधिवत् कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए आदेशित किया गया है ।

7. आरोपित पदाधिकारी सरकारी आदेश की अवहेलना कर गैर जिम्मेवारीपूर्वक मुख्यालय से गायब रहा करते हैं। माह अप्रैल, 2014 के अंतिम सप्ताह से माडा कर्मियों द्वारा अपने कतिपय माँग को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया था । इसके कारण कोयलांचल में गंभीर जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गयी । आरोपी पदाधिकारी द्वारा इसके निराकरण हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी । इस क्रम में दिनांक 1 मई, 2014 को उपायुक्त, धनाबद द्वारा समस्या के निराकरण हेतु इनकी खोज की गयी, सूचना मिली की ये मुख्यालय से बाहर हैं। उपायुक्त द्वारा आरोपी पदाधिकारी के मोबाईल

पर सम्पर्क करने पर इनके द्वारा बताया गया कि वे गया, बिहार में हैं परन्तु इसके लिए इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गयी थी एवं सूचना भी नहीं दी गयी थी । इस प्रसंग में, उपायुक्त, धनबाद के पत्र संख्या-801/गो०, दिनांक 1 मई, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण पूछने पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा पत्र संख्या-56/एम०डी०, दिनांक 3 मई, 2014 द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यालय परित्याग करने हेतु सचिव, नगर विकास विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी थी एवं इसकी सूचना उपायुक्त, धनबाद को दूरभाष पर दी गयी थी। इसके आलोक में उपायुक्त, धनबाद के पत्र सं०-878/गो०, दिनांक 12 मई, 2014 द्वारा इससे संबंधित साक्ष्य की माँग की गयी। इस संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र सं०-58/एम०डी०, दिनांक 14 जून, 2014 द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को प्रेषित आवेदन की छायाप्रति भेजते हुए लिखा गया कि वे दिनांक 1 मई, 2014 को प्रातः छः बजे गया के लिए प्रास्थान कर गये थे । वे उपायुक्त, धनबाद को उस समय परेशान नहीं करने के नियत से दूरभाष पर सूचना नहीं दे पाये और रास्ते से सूचना देना चाह भी रहे थे कि उसी समय उपायुक्त, धनबाद का फोन उन्हें मिल गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में दिये गये बयान यथा सचिव से अवकाश स्वीकृत रहने तथा उपायुक्त, धनबाद को मुख्यालय परित्याग करने हेतु दूरभाष पर सूचित कर देने संबंधी अपने बयान की पुष्टि करने में असमर्थ रहे । आरोपी पदाधिकारी द्वारा बगैर उपायुक्त की अनुमति के मुख्यालय का परित्याग किया गया ।

8. माडा कर्मियों द्वारा अपने कतिपय माँगों को लेकर दिनांक 9 सितम्बर, 2014 से माडा कार्यालय, धनबाद के समक्ष आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समस्या के निराकरण हेतु कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से वार्त्ता नहीं करने के कारण प्राधिकार कर्मियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वे दिनांक 12 सितम्बर, 2014 से हड़ताल पर चले गये । इसके कारण कोयलांचल में गंभीर जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गयी । दिनांक 13 सितम्बर, 2014 को हड़ताली कर्मियों एवं प्रबंध निदेशक, माडा के बीच वार्ता होनी थी परन्तु प्रबंध निदेशक अपने आवास पर वार्त्ता करना चाहते थे जबकि हड़ताली कर्मी कार्यालय में वार्त्ता करना चाहते थे। प्रबंध

निदेशक, माडा, धनबाद के अडियल रवैया के कारण वार्त्ता नहीं हो पायी। लोगों में जलापूर्ति नहीं होने के कारण उत्पन्न रोष को देखते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2014 को उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रबंध निदेशक, माडा की उपस्थिति में वार्त्ता की गयी। कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा आरोपी पदाधिकारी के डेढ़ माह से कार्यालय नहीं आने, उनके निरंकुश व्यवहार तथा असंवेदनशीलता के कारण अनशनकारियों के समर्थन में हड़ताल पर जाने की विवशता बतायी गयी। आरोपी पदाधिकारी के व्यवहार से हड़ताली इतने हताहत थे कि हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। जिला प्रशासन द्वारा जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करायी गयी परन्तु निदेश के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किया गया। उपायुक्त, धनबाद के पत्र सं०-1892/गो०, दिनांक 16 सितम्बर, 2014 द्वारा सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया ।

आरोपी पदाधिकारी के गैर जिम्मेवारीपूर्ण आचरण के कारण जन सामान्य तथा जिला प्रशासन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इससे आरोपी पदाधिकारी पर कार्यालय में आकर नियमित रूप से कार्यों का सम्पादन नहीं करने, अपने अधिनस्थों के साथ समुचित व्यवहार नहीं करने, कर्त्तव्य निर्वहन के प्रति असंवेदनशील रहने तथा उनमें प्रशासनिक क्षमता की कमी की पुष्टि होती है ।

9. आरोपित पदाधिकारी ने अपने आदेश ज्ञापांक-460, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 द्वारा सरकार से अधिसूचित तकनीकी सदस्य, माडा को नगर निवेश कार्य से मुक्त किया है। माडा, धनबाद में नगर निवेशक के रिक्त पद के कारण नक्शा पारित करने में हो रही कठिनाई पर प्राधिकार की दिनांक 19 जनवरी, 1991 को हुई 21वीं बैठक में परिचर्चा हुई थी। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया था कि नगर निवेशक के पद रिक्त रहने तक माडा के तकनीकी सदस्य ही भवन निर्माण के प्लान एवं नक्शा पर तकनीकी स्वीकृति देंगे। उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि नक्शा पारित करने के पूर्व नगरपालिका से अनापत्ति प्राप्त किया जाय और एक सप्ताह के अन्दर अनापत्ति नहीं आने पर यह माना जायेगा कि नगरपालिका को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । प्राधिकार के उक्त निर्णय में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार प्रबंध

निदेशक, माडा, धनबाद को नहीं है। परन्तु इसका उल्लंघन कर उनके द्वारा मनमानीपूर्वक निहितार्थ भाव से नक्शा पारित करने संबंधित उपर वर्णित अनियमितताओं में संलिप्त कार्यपालक अभियंता को तकनीकी सदस्य से उक्त कार्य को वंचित करते हुए नगर निवेशन संबंधी कार्य सौंपा गया। प्राधिकार के निर्णय के आलोक में किसी भी मामले में नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त नहीं कर सीधे नक्शा पारित करने की कार्रवाई की गयी ।

10. आरोपित पदाधिकारी द्वारा आदतन कर्त्तव्यहीनता , अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता अपनाया जाता है। प्रबंध निदेशक, माडा, धनबाद के पद पर पूर्व पदस्थापन काल में भी उनके द्वारा कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरती गयी थी, जिसके लिए तत्कालीन उपायुक्त, धनबाद ने अपने पत्र संख्या-916/गो०, दिनांक 13 मई, 2011 द्वारा उनके स्थानांतरण एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा सरकार से की गयी थी। सरकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। सरकार के उक्त कार्रवाई के बाद भी आरोपित पदाधिकारी के आचरण में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सका है और प्रबंध निदेशक, माडा के रूप में अपने पुर्नपदस्थापन काल के दौरान भी उसी तरह के आचरण को अपनाया जा रहा है। यह उनके स्वभाविकरूप से कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीन एवं स्वेच्छाचारी रहने को प्रमाणित करता है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०- 4418, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री झा के पत्रांक-35/2015, दिनांक 2 सितम्बर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं०-1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप सं०-7, 8, 9 एवं 10 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री सिंह द्वारा आरोप सं०-1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिए दिये गये बचाव बयान निम्नवत् हैं:-

आरोप सं0-1. श्री सिंह का कहना है कि प्रश्नगत बिल्डिंग प्लान ठक् छवण् 177/2008-09 श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं अन्य, पिता- स्व० राणा रामपित सिंह, पोलिटेनिक रोड, धनबाद के द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 19 सितम्बर, 2008 एवं तत्पश्चात् दिनांक 10 जून, 2011 को आवेदन पत्र जमा किया गया था । इस बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति इनके पूर्व प्रबंध निदेशक द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा पूर्व के प्रबंध निदेशक के द्वारा स्वीकृति देने के पश्चात् दण्डात्मक शुल्क के साथ राशि वसूलने हेतु नगर निवेशक की अनुशंसा पर स्वीकृति दी गयी है। इस भवन प्लान की स्वीकृति से एवं दण्डात्मक शुल्क लेने के माडा के राजस्व में लाखों रूपये की वृद्धि हुई है तथा श्रम उपकर के रूप में राज्य सरकार के निधि में भी लाखों रूपये प्राप्त हुए है, जो अभिलेख में दर्ज है। जहाँ तक गैर आबाद भूमि पर नक्शा स्वीकृत करने का प्रश्न है, इस मामले में एल०आर०डी०सी० एवं एस०डी०एम०, धनबाद के द्वारा विधिवत् आदेश के तहत् उक्त जमीन की रैयती मन्यता दी गयी थी । सम्प्रति इस स्वीकृति के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गयी है। आरोप निराधार है ।

आरोप सं0-2. श्री सिंह का कहना है कि श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता- श्री गणेश प्रसाद सिंह, बी०डी० नं०-798/2013-14 इनके पदस्थापन के पूर्व दिनांक 3 फरवरी, 2014 को ही माडा में नक्शा डाला गया था। नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत् जुनियर इनजीनियर श्री सुधार प्रसाद एवं नगर निवेशक की अनुशंसा पर इनके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जो नियमों के अनुकूल है। जहाँ तक बैक डेटिंग का प्रश्न है, यह सत्य है। नगर विकास विभाग के पत्र संख्या-3224, दिनांक 14 जुलाई, 2014 इन्हें दिनांक 19 जुलाई, 2014 को विभाग में ही प्राप्त हुआ था और उसी दिन फैक्स से माडा में भी भेजवाया गया था। जबकि प्लान की स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2014 को ही हो चुकी थी। अगर बैक डेट की करना होता तो दिनांक 16 जुलाई, 2014 को न कर दिनांक 10 जुलाई, 2014 या दिनांक 12 जुलाई, 2014 के पहले का डेट डाला जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि बैक डेटिंग हुआ ही नहीं था। नगर निवेशन विभाग से भवन प्लान की स्वीकृति संबंधी संचिका प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ज्योंहि उनके समक्ष

उपस्थापित की जाती थी, सामान्यतः उसी क्षण इनके द्वारा स्वीकृति दी जाती थी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। नगर विकास विभाग का प्रश्नगत आदेश प्राप्त होते ही दिनांक 19 जुलाई, 2014 के बाद एक भी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, जिसका FAR 03 से अधिक थी, उसकी स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

प्रबंध निदेशक, माडा के पत्र सं0-टी0पी0 583, दिनांक 24 जुलाई, 2014 द्वारा निर्धारित FAR से अधिक के लिए पारित नक्शा से संबंधित मामलों की सूची नगर विकास विभाग को प्रेषित की गयी थी। इस सूची में केवल वैसे मामलों को डाला गया था, जिनके द्वारा श्रम उपकर के रूप में राज्य सरकार के निधि में वांछित राशि का ड्राफ्ट जमा किया गया था। सामान्यतः बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति संबंधी पत्र उक्त राशि के जमा होने पर ही निर्गत किया जाता रहा है। चूँकि आरोपगत बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 24 जुलाई, 2014 तक श्रम उपकार की राशि नहीं जमा की गयी थी, इसलिए इस प्लान की स्वीकृति पत्र नगर निवेशन शाखा द्वारा निर्गत नहीं किया गया था। फलतः आरोपगत बिल्डिंग प्लान को उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि स्वीकृति पत्र निर्गत करने संबंधी कार्य नगर निवेशन शाखा की है, जिसके प्रभारी कार्यपालक अभियंता नगर निवेशन/सहचर्य नगर निवेशक होते हैं। इसमें प्रबंध निदेशक का कोई रोल नहीं है। इस नक्शे के स्वीकृति से माडा के राजस्व में तथा राज्य सरकार के निधि में श्रम उपकर के रूप में लाखों रूपये की वृद्धि हुई है, जो अभिलेख में दर्ज है। सम्प्रति इस स्वीकृति के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है। आरोप निराधार है ।

आरोप सं0-3. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि श्री विनोद कुमार भुवानिया, पिता- श्री केदार नाथ भुवानिया एवं अन्य के मामलों में भवन प्लान की स्वीकृति का आवेदन उनके पदस्थापन के पूर्व ही दिनांक 1 जनवरी, 2014 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जो बी0डी0 नं0-807/2013-14 दर्ज था। इसके जमीन का म्यूटेशन वर्ष 1944 में ही हो चुका था और अभी तक अद्यतन मालगुजारी रसीद भी कटते आ रही थी। इस प्लान की स्वीकृति भी नगर निवेशन शाखा के तकनीकी पदाधिकारियों की तकनीकी

अनुशंसा के बाद ही उसी दिन इनके द्वारा की गयी थी। इससे माडा को भवन फीस के रूप में 7,20,600/- रू0 एवं श्रम उपकर के रूप में राज्य सरकार को 9,24,000/- रू0 प्राप्त हुए, जो अभिलेख में दर्ज है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में उक्त भूमि के किसी अंश की जमाबंदी को गलत नहीं बताया गया है। इसलिए नक्शा की स्वीकृति नियमानुकूल है। इस भवन प्लान के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है ।

आरोप सं0-4. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि भवन प्लान का बी0डी0 नं0-500/2013-14 है, जिसका आवेदन उनके पदस्थापन के पूर्व दिनांक 9 जनवरी, 2014 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था एवं अंचलाधिकारी, धनबाद से जमीन से संबंधित अनापत्ति भी प्राप्त था। इस भवन प्लान की स्वीकृति से माडा को 6,33,600/- रू0 राजस्व प्राप्त हुए एवं श्रम उपकर के रूप में राज्य सरकार को 4,36,000/- रू0 के राजस्व की प्राप्ति हुई। सम्प्रति इस स्वीकृति के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि उक्त चारों भवन प्लान की स्वीकृति माडा बिल्डिंग बाईलॉज की कंडिका-44 के फुट नोट के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए टाऊन प्लानर की अनुशंसा पर उनके द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जो नियमानुकूल है। उक्त कंडिका के फुट नोट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भवन के FAR के संबंध में दिये गये FAR प्लाट डेवलपमेंट के लिए है, जैसे- हाऊसिंग कॉलोनी / को-कॉपरेटिव आदि। अन्य आवासीय भवन के अकुपेंसी टाऊन प्लानर की अनुशंसा पर प्रबंध निदेशक अपने स्वविवेक से करेंगे एवं इसी स्वविवेक से लगातार दिनांक 18 जुलाई, 2014 तक FAR का निर्धारण होता रहा है। पूर्व के सभी प्रबंध निदेशकों द्वारा इसी विधि से प्लान के नक्शे की स्वीकृति दी जाती रही है। जहाँ तक राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा अधिकतम FAR 03 तक सीमित रखने का प्रश्न है, तत्संबंधी पत्र उन्हें दिनांक 19 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुआ और उसी दिन से इस आदेश का अनुपालन प्रारंभ कर दिया गया ।

प्रश्नगत चारों मामलों में FAR 03 से अधिक है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 16 जुलाई, 2014 को हुई है। 03 से अधिक FAR की स्वीकृति के सैकड़ों मामले इसके पूर्व

की स्वीकृत हुए हैं, जिसकी सूची राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध है। जहाँ तक गैर आबाद जमीन पर नक्शा की स्वीकृति का प्रश्न है, इनका कहना है कि माडा बिल्डिंग बाइलॉज की कंडिका-10 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि स्वीकृति हेतु प्राप्त नक्शा से संबंधित जमीन का ऑनरशीप के प्रसंग में निर्णय लेते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना हैः-

1. Attested copy of original sale/lease deed.
2. Attested copy of the Revenue Survey sheet/Municipal Survey sheet with Khesra number or Mutation Record.
3. Affidavit or other ducuments acceptable to the managing director of the authority.

इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक चाहे तो अन्य किसी अभिलेख की माँग कर सकते हैं। इनका कहना है कि सभी मामलों में इनके द्वारा उक्त नियमों का पालन किया गया तथा जमीन मालिक से शपथ पत्र एवं इनडेमिनीटी बॉन्ड प्राप्त किया गया है। स्वीकृत नक्शा पर इस आशय की मुहर लगायी गयी है कि नक्शा की स्वीकृति से आवेदक का जमीन पर टाईटल नहीं स्थापित होगा। खतियान पर दर्ज गैर आबाद जमीन से संबंधित केवल वैसे मामलों पर विचार किया जाता है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो अथवा समक्ष न्यायालय/पदाधिकारी द्वारा रैयती मान्यता प्राप्त हो अथवा राजस्व पदाधिकारी द्वारा वैध करार दिया गया हो। उक्त तथ्यों के आलोक में आरोप निराधार है ।

आरोप सं0-5. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि श्री बनर्जी के अभिलेख को पूर्णतः विशलेषण कर नक्शा पारित किया गया था। उपायुक्त द्वारा जानबूझकर मामले को उलझाया गया है। उपायुक्त द्वारा विविध अभिलेख सं0-9/14 द्वारा इस मामले की विविधित सुनवाई की गयी एवं यह कहते हुए मामले को ड्राप किया गया कि नगर निगम जाँच-पड़ताल कर एक प्रतिवेदन देगा कि यह जमीन सरकारी की है या श्री जीतेन्द्र कुमार बनर्जी की। धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त के पत्रांक-493, दिनांक 26 मार्च, 2015 के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रश्नगत जमीन राजस्व अंचल

कार्यालय, धनबाद के संबंधित पंजी-II में दर्ज है एवं कोई विवाद के अन्तर्गत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि मूलतः राजस्व अंचल कार्यालय के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण प्रश्नगत जमीन नगरपालिका खाते में सर्वे के दौरान दर्ज किया गया था तथा तत्कालीन जमींदार द्वारा विधिवत् रूप से भू-हस्तांतरित हुई है एवं विधिवत् रूप से अटूट क्रम में हस्तांतरित होते हुए श्री जीतेन्द्र बनर्जी शांतिपूर्ण तरीके से दखलकार हैं। प्रश्नगत जमीन पर स्वामित्व को लेकर नगर निगम का कोई अधिकार एवं दावा नहीं है। इन्हें विधिवत् रूप से अन्य प्रावधानों के तहत् भवन निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त के आलोक में आरोप निराधार है ।

आरोप सं0-6. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि को टिकुरी केस सं0-28/05(ii) 62-63 तथा आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग के पत्र सं0- 1825, दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के आलोक में रैयती घोषित किया गया। स्पष्ट है कि आयुक्त राजस्व प्रशासन के प्रमंडल स्तर के वरीयतम पदाधिकारी है और उनके द्वारा लिये गये निर्णय पर संदेह उत्पन्न करना उचित नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक का काम रोक दिया गया है एवं उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत जमीन पर पूर्व से ही मकान बना हुआ था, जिसे तोड़कर पुनः निर्माण हेतु नक्शा जमा की गयी थी। जमीन का विधिवत् दाखिल खारिज एवं अद्यतन रसीद भी अंचल कार्यालय से निर्गत थी। उक्त स्थिति में अंचलाधिकारी से पुनः मंतव्य माँगना व्यवहारिक नहीं है। अतः यह आरोप भी निराधार एवं विद्वेषपूर्व है ।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं0-1 से 6 के लिए निम्नवत् मंतव्य दिये गये हैं-

आरोप सं0-1 से 6.माडा, धनबाद क्षेत्र में भवनों के नक्शा की स्वीकृति हेतु Building Bye Laws 1986 से गठित है। इसके अनुसार आवासीय भवनों का अधिकतम FAR 2.50 तथा व्यावसायिक भवनों का अधिकतम FAR 3.00 निर्धारित है। FAR की निर्धारित सीमा के उल्लंघन होने की शिकायत प्राप्त होने पर नगर विकास विभाग के

ज्ञापांक-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 के द्वारा आवासीय भवनों का FAR अधिकतम 3.00 निर्धारित करते हुए ऐसे सभी स्वीकृत भवनों के नक्शा की सूची की माँग माडा, धनबाद कार्यालय से की गयी थी, जिसमें थ्।त् 3.00 से अधिक स्वीकृत किया गया हो। साथ ही उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक-2688, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रबंधन निदेशक, माडा को यह निदेश गया था कि अनाबाद खाता की जमीन जो भवन के नक्शा प्लान में सम्मिलित हो उसकी जमाबंदी विधिवत ढंग से/सक्षम प्राधिकार के स्तर से स्वीकृत है या नहीं इस संबंध में अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वीकृति की कार्रवाई करेंगे ।

आरोप पत्र तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा से स्पष्ट होता है कि आरोप पत्र में वर्णित आरोप संख्या-01 से 06 तक के सभी 06 मामलों में उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक-2688, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के अनुरूप प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी निर्धारण एवं लगान रसीद काटने के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त की गयी थी, जो प्रासंगिक संचिका में उपलब्ध है। नक्शा की स्वीकृति की तिथि तक ये सभी जमाबंदी चल रही थी तथा इनमें सन्निहित अनाबाद खाता की भूमि की जमाबंदी को स्थगित करने का आदेश अथवा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ होने की सूचना नहीं थी। उपायुक्त, धनबाद के विविध वाद अभिलेख संख्या-09/2004 में भी आरोप पत्र के बिन्दु-5 से संबंधित भूमि की जमाबंदी की जाँच की गयी है, जिसमें से आरोप संख्या-5 की जमीन के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रासंगिक भूमि अनाबाद खाता की भूमि का हस्तांतरण 1.1146 के पूर्व हुआ है तथा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

आरोप सं0-6 के संबंध में जाँचोपरांत उपायुक्त ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , धनबाद को यह निदेशित किया है कि अभिलेख खोलकर सभी पक्षों को सुनकर विस्तृत जाँच प्रतिवेदन दो माह के अंदर प्राप्त करावें। आरोप पत्र के क्रमांक-1 से 6 तक भवन प्लान स्वीकृति संचिका में रक्षित अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक-2688, दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 की अनदेखी नहीं की

गयी है । आरोप में वर्णित क्रमांक-1 में वर्णित मामले में मूल प्लान का FAR 3.42 दिनांक 29 सितम्बर, 2008 को स्वीकृत था, जो MADA Building Bye Laws में निर्धारित सीमा से अधिक है। संशोधित प्लान (As Build) को विनियमितीकरण करने हेतु स्वीकृति देने की कार्रवाई आरोपित पदाधिकारी के पूर्व के पदाधिकारी के कार्यकाल में प्रारंभ करते हुए दंड का निर्धारण कर दंड शुल्क जमा कराया गया परन्तु इसकी स्वीकृति आरोपित पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2014 को दी गयी है। जबकि आरोपी पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में इस प्लान की स्वीकृति देने से इन्कार किया है, जो सही नहीं है। इस भवन प्लान की स्वीकृति में अधिकतम FAR का उल्लंघन दो बार हुआ है। IAs Build Plan की स्वीकृति माडा Building bye laws के कंडिका-44 के Foot Note में प्रदत्त शक्ति को आधार बनाकर तकनीकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर दी गयी है परन्तु ऐसा करते समय खुला स्थान की उपलब्धता, सड़क की चैड़ाई तथा जनसंख्या के घनत्व की समीक्षा संचिका में नहीं की गयी है। अतः आरोप सं0-1 में वर्णित भवन प्लान No। BD 177/2008-09 में संशोधित भवन प्लान FAR नियम विरूद्ध स्वीकृत करने का आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप सं0-2 से 6 तक वर्णित आरोपों पर सुनवाई के दौरान प्रासंगिक संचिकाओं की छायाप्रतियों का अवलोकन कराया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि माडा Building Bye laws कंडिका-44 में वर्णित Foot Note को आधार मानकर तकनीकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर आरोप पत्र में वर्णित सभी मामलों में निर्धारित अधिकतम FAR की सीमा का उल्लंघन कर नक्शा स्वीकृत किया गया है। यद्यपि Building Bye laws की कंडिका-44 के Foot Note के आधार पर पूर्ववर्ती प्रबंध निदेशकों के कार्यकाल में भी इस प्रकार की स्वीकृति दी जाती रही है। परन्तु आरोप सं0-1 से 6 तक के सभी मामलों की स्वीकृति देते समय Building Bye laws की कंडिका-44 एवं 45 के अनुरूप भवनों के ऊँचाई का निर्धारण करते समय खुले स्थान की उपलब्धता एवं सड़क की चैड़ाई, जनसंख्या का घनत्व इत्यादि की समीक्षा संचिका में नहीं की गयी है ।

नगर विकास विभाग के पत्रांक-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 की प्रति आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय में 16 जुलाई, 2014 के पूर्व प्राप्त होने का कोई ठोस प्रमाण सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपित पदाधिकारी के अनुसार यह पत्र उनके कार्यालय में 19 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुआ है । अतः नगर विकास विभाग के पत्रांक-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 के प्राप्ति के उपरांत Backdating करते हुए Building plan को स्वीकृत करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

नगर विकास विभाग के पत्रांक-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 के क्रम में माडा कार्यालय के पत्रांक-TP 583, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के द्वारा विभाग को प्रेषित स्वीकृत भवनों की सूची में आरोप पत्र के क्रमांक-01 से 06 तक वर्णित स्वीकृत प्लान को सम्मिलित नहीं करने के संबंध में जो तर्क आरोपित पदाधिकारी ने अपने बचाव में दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि 16 जुलाई, 2014 को स्वीकृत भवन प्लान की जानकारी आरोपित पदाधिकारी को अपने TP 583, दिनांक 24 जुलाई, 2014 पर हस्ताक्षर करते समय थी। अतः नगर विकास विभाग को प्रेषित सूची में इसे सम्मिलित करना चाहिए था। भले ही श्रम/उपकर की राशि उस समय तक जमा नहीं रहने के कारण स्वीकृति पत्र निर्गत नहीं किए गए थे। अतः आरोप सं0-02 से 06 तक में वर्णित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि भले ही बैकडेटिंग करने का आरोप प्रमाणित नहीं हो सका है परन्तु आरोप सं0-1 से 6 तक उल्लिखित भवन प्लान दिनांक 24 जुलाई, 2014 को निर्गत किया गया, जबकि नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3224, दिनांक 12 जुलाई, 2014 उनके कार्यालय में दिनांक 19 जुलाई, 2014 को ही प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में दिनांक 24 जुलाई, 2014 को भवन प्लान की स्वीकृति निर्गत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि FAR 3.00 से अधिक थी तथा इसकी सूचना नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को देनी चाहिए थी। पूरे मामले में आरोपित पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। ये आरोप

प्रमाणित होते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक प्रकृति के आरोप का प्रश्न है, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है, इसे स्वीकृत किया जाता है ।

समीक्षोपरान्त, उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 के तहत् श्री (डॉ०) रविन्द्र सिंह पर 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री (डॉ०) रविन्द्र सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 164—50 ।